शीर्ष प्राथमिकता /समयबद्ध

संख्या-1274/xvi/06/05(134)/05

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तरॉचल उद्यान भवन चौबटिया,
रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग: देहरादून: दिनांक / / सितम्बर, 2006

विषयः- बाजार हस्तक्षेप योजना के अर्न्तगत सेब कय किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-214/उ0त0/बा0ह0यो0/06-07, दिनांक -28-06-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल के सेब उत्पादक क्षेत्रों/चयनित जनपदों के कृषकों हेतु उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदत्त किए जाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में योजनान्तर्गत सम्प्रति 1000 मै0टन की सीमान्तर्गत "सी" ग्रेड सेब कय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपरोक्त योजना के अर्न्तगत सी-ग्रेड सेब के फलों का समर्थन मूल्य रू0 4.25 (चार रूपये पच्चीस पैसे)मात्र प्रति किग्रा0 निर्धारित किया जाता है।
2. फलों का कय/विकय गढ़वाल मण्डल के चयनित जनपदों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमांऊ मण्डल के चयनित जनपदों में कुमांऊ मण्डल विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
3. कय किये जाने वाले सी-ग्रेड सेब का न्यूनतम आकार 45 मिमी0 व्यास का होना चाहिये तथा प्रजाति के अनुसार उनमें रंग आ गया हो, एवं फल सड़े, कटे, गले नही होने चाहिए।
4. सेब फलों को उपार्जित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मण्डियों/प्रसंस्करण इकाइयों तक आपूर्ति किए जाने निमित्त उन्हें फलों के कय मूल्य के साथ-साथ अन्य अनुषंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार वहन की जायेगी।
5. फलों के उपार्जन हेतु दोनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों मे निम्न स्थानो पर कय/संग्रह केंन्द्र स्थापित किये जायेंगे :-

जनपद का नाम	प्रस्तावित कय/ संग्रह केन्द्र का नाम	कार्यदायी संस्था
नैनीताल	रामगढ़, पहाड़पानी, भटेलिया, हरतोला, मुक्तेश्वर, धानाचूली।	कुमॉयू मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल।
अल्मोड़ा	शहरफाटक।	

-2/-

देहरादून	त्यूनी, कोटी, कथियान।	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून।
चमोली	हेलंग, जोशीमठ, तपोवन, कैलाशपुर, जेलम, मलारी।	
उत्तरकाशी	नौगॉव ,बड़कोट, सॉकरी, नेटवाड, चिन्यालीसौड़, हर्षिल, आराकोट।	

6. संग्रह केन्द्रों की संख्या व स्थान कार्यदायी संस्थाएं सेब की उपलब्धता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं।

7. फलों का उपार्जन/ क्रय की यह योजना केवल फल उत्पादकों के लिये लागू होगी। ठेकेदार व विचौलिये इस योजना में आच्छादित नही होगें। यह सुनिश्चित करना कार्यदायी संस्थाओं तथा जिला उद्यान अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि केवल फल उत्पादकों से ही उपार्जन/ क्रय किया जाये।

8. फल उत्पादकों को भुगतान एकाउण्ट पेई चैक या बैंक एडवाइस के माध्यम से किया जायेगा।

9. तुड़ाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन क्रिया के दौरान वजन में कमी आती है, अतः वजन में आने वाली कमी को ध्यान मे रखते हुए क्रय के समय तौल में 2.5 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

10. निदेशक उद्यान, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा चयनित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक प्रचार– प्रसार किया जायेगा।

11. दोनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित स्थानों पर अस्थाई रूप से क्रय/संग्रह केन्द्र की मूलभूत व्यवस्थाऐं पूर्ण कर ली जायेगी एवं कार्मिकों की तैनाती कर ली जायेगी।

12. इस कार्य में सहयोग हेतु संबंधित जिले के जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा विभागीय तृतीय श्रेणी के कार्मिक जो निकटस्थ उद्यान सचल दल केन्द्र पर कार्यरत हो को तैनात किया जायेगा।

13. उपार्जित सेबों की संभावित दर रू0 3.50 प्रति किग्रा या इससे अधिक मूल्य पर स्थानीय बाजारों/ नीलामी द्वारा प्राथमिकता पर विक्रय की व्यवस्था क्रय संस्थाओं द्वारा की जायेगी, यदि राज्य की कोई सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाई इन फलों को लेना चाहती है, तो उन्हें भी प्राथमिकता पर सेबों की आपूर्ति समान दरों पर की जा सकती है।

14. फलों के उपार्जन का कार्य माह सितम्बर से नवम्बर,2006 (तीन माह)तक किया जायेगा।

15. फलों के विक्रय से प्राप्त आय को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उद्यान विभाग के राजस्व प्राप्तियों से संबंधित संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

16. योजना के संचालन में राज्य सरकार को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वास्तविक क्रय मूल्य के25 प्रतिशत

–3/–

की सीमा तक 50 प्रतिशत क्षति की प्रतिपूर्ति की जायेगी, शेष क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

17. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड सेब की उपलब्धता को देखते हुए उक्त निर्धारित सीमा तक सेब क्रय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की मॉग प्रस्तुत किये जाने पर कार्यदायी संस्थाओं को यथाआवश्यक धनराशि अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

18. उक्त योजना के संचालन में होने वाले व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00– आयोजनागत –119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–0113–बाजार हस्तक्षेप योजना का कियान्वयन –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था से किया जायेगा, जिसे शासनादेश संख्या–496/XVI/06/ 7(33)/06, दिनांक 22 मई,2006 द्वारा पूर्व में ही आपके निर्वतन में रखा गया है।

19. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–499/वित्त अनुभाग–4/2006, दिनांक– 11 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–1274/XVI/06/05(134)/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0,देहरादून/कुमायूँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल को इस आशय से कि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों में "सी" ग्रेड सेब की उपलब्धता को देखते हुए सेब क्रय हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि की मॉग का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर निदेशक, उद्यान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
3. उपनिदेशक, उद्यान, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/ कुमायूँ मंडल, नैनीताल।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तरांचल शासन।
5. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
6. निदेशक(सहकारिता), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।